UPFR010043732023

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रूखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम..........................एच०जे०एस० UP6264

परिवाद संख्या – 556/2023

प्रेमपाल दिवाकर बनाम **सुघर सिंह यादव**

थाना – मेरापुर

जनपद – फर्रूखाबाद

दिनांक: 03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है, न ही कोई धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्ष्य हेतु कोई साक्षी उपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी का कथन धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तथा घटना के समर्थन में साक्षियों के कथन धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्ष 2023 में अभिलिखित किए जा चुके हैं।

तत्पश्चात परिवाद को अन्य साक्षी अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षित कराये जाने हेतु एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु विभिन्न तिथियों पर नियत किया जाता रहा है, परन्तु परिवादी लगातार अनुपस्थित है तथा उसके द्वारा कोई अन्य साक्षी भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में परिवादी की निरन्तर अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था तथा यह अपेक्षा की गई थी कि वह अगली नियत तिथि पर उपस्थित होकर वाद के संचालन में सहयोग करेगा। इसके बावजूद आज भी परिवादी अनुपस्थित है। उसकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

किसी भी परिवाद के प्रभावी संचालन का प्रथम दायित्व स्वयं परिवादी का होता है। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी यदि परिवादी अपने परिवाद के प्रति उदासीन बना रहता है तथा निरन्तर अनुपस्थित रहता है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वह अपने परिवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि परिवादी को पर्याप्त एवं न्यायोचित अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। इसके उपरान्त भी उसकी निरन्तर अनुपस्थिति उसके द्वारा परिवाद के संचालन में अरुचि है। ऐसी स्थिति में वाद को

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.08.03 15:09:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और अधिक लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रस्तुत परिवाद, परिवादी की निरन्तर अनुपस्थिति तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित न होने के कारण **निरस्त** किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 03.08.2026

(**तरूण कुमार सिंह – ।**)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 02/

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद